


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/
दिनांक .

आदेश

श्री पदमेश गांधी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (प.क.), डूंगरपुर जिनकी जन्म तिथि 13.12.1959 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.12.2019 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री पदमेश गांधी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर


दिनांक : 22/05/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/1153

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (प.क.), डूंगरपुर।
4. प्रभारी, डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री पदमेश गांधी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर